



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

आवेदक की विवरणी

निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :— _____
2. पिता/पति का नाम :— _____
3. आवासीय पता :— _____
4. वार्ड नं० :— _____
5. व्यवसाय का पता :— _____
6. वार्ड नं० :— _____
7. मोबाईल नं० :—
8. आधार नं० :—
9. Municipal Trade License No :— _____
10. होलिडंग नं० (व्यवसाय स्थल का) :—
11. GPS Location :— _____

विज्ञापन पट्ट की विवरणी

12. विज्ञापन पट्ट का स्थान :— _____
13. विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित करने की तिथि :— _____ से _____ तक
14. विज्ञापन पट्ट का क्षेत्रफल :— लम्बाई चौड़ाई कुल
15. विज्ञापन पट्ट का प्रकार :— प्लैक्स/ग्लोसाईन बोर्ड/किनोपी/स्टैण्डी/अन्य.....
16. विज्ञापन पट्ट पर अंकित किये जाने वाले फर्म/एजेंसी का नाम :— _____

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सारी जानकारी सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर सारी जवाबदेही मेरी होगी एवं निगम के द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जो शर्त है, वो मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्व अभिप्रमाणित GPS Location का
फोटोग्राफस यहाँ चिपकायें।





कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय उपयोग के लिए

1. विज्ञापन पट्ट का स्थान :— _____
2. विज्ञापन पट्ट अधिष्ठापित करने की तिथि :— DD/MM/YYYY
3. विज्ञापन पट्ट का आकार :— लम्बाई चौड़ाई कुल
4. विज्ञापन पट्ट का प्रकार :— फैलैक्स/ग्लोसाईन बोर्ड/किनोपी/स्टैणडी/अन्य.....
5. जोन :— A B C
6. दर :—
7. अनुज्ञाप्ति शुल्क :—
8. भुगतेय राशि :— 9. भुगतान की राशि :—
10. GPS Location :— _____
11. मंतव्य :— _____

GPS Location का फोटोग्राफ़स यहां चिपकायें।

संबंधित सहायक का हस्ताक्षर





कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आवेदन पत्र

रसीद सं.:—

दिनांक :—

1. विज्ञापन पट्ट का स्थान :—
2. विज्ञापन पट्ट अधिष्ठापित करने की तिथि :— DD/MM/YYYY
3. विज्ञापन पट्ट का आकार :— लम्बाई चौड़ाई कुल
4. विज्ञापन पट्ट का प्रकार :— फ्लैक्स/ग्लोसाइन बोर्ड/किनोपी/स्टैण्डी/अन्य.....
5. जोन :— A B C
6. दर :—
7. अनुज्ञाप्ति शुल्क :—
8. भुगतेय राशि :—
9. भुगतान की राशि :—

श्री/श्रीमती/सुश्री..... से विज्ञापन पट्ट के आकार.....
के एवज् में /—रु० प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर





कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु शर्त

1. विज्ञापन पट्ट अपनी निजी भूमि/भवन में अधिष्ठापित करना होगा तथा इसका किसी भी भाग को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमित नहीं करना होगा।
2. विज्ञापन पट्ट की अनुमति मात्र आपके द्वारा विहित प्रपत्र में अंकित तिथि तक मान्य होगा।
3. राँची नगर निगम द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञापन प्रदर्शन मान्य नहीं होगा।
4. जन स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव डालने वाले वस्तुओं (जिसे सरकार द्वारा हानिकारक घोषित किया जा चुका है) तथा अश्लीलता प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
5. कोटपा के अंतर्गत पान/गुटका/तम्बाकु/शराब आदि नशीले पदार्थों का प्रदर्शन नहीं करना होगा।
6. अपने फर्म/एजेंसी नाम के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कम्पनी/प्रोडक्ट का नाम प्रदर्शित करने से पूर्व निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
7. निगम द्वारा कोई अन्य कोई शर्त लगाया जाता है, तो उसका ससमय पालन करना होगा।
8. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अंतर्गत शर्तों एवं Jharkhand Local Boadies Advertisement Regulation 2017 के निहित प्रावधानों का पालन करना होगा।
9. यह अनुमति फर्म/एजेंसी परिवर्तित करने की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. यदि फर्म/एजेंसी द्वारा विज्ञापन पट्ट का प्रकार/कम्पनी का नाम/एजेंसी का नाम बदलने से पूर्व निगम को इसकी सूचना देकर अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
11. नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को यह अधिकार रहेगा कि वे दी गयी स्वीकृति को कभी भी निरस्त कर सकते हैं तथा विज्ञापन पट्ट को बिना किसी पृच्छा के हटवा सकते हैं।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

